रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225769
CG-DL-E-10032021-225769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942
No. 124] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

सा.का.नि. 165(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के पास भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 93, उप-नियम 1 (क), खंड IV में, पहले परंतुक के बाद, तालिका के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत:

"परंतु यह और कि यदि खुली या बंद बॉडी वाले एन2 या एन3 श्रेणी के मोटर यान पर अभाज्य भार लादा जाता है तो मोटर यान की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी"।

3. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 93 के बिंदु (4) तथा (5) को क्रमश: (3) तथा (4) के रूप में पुन:नामित किया जाएगा।

[सं.आरटी-11036/34/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

G.S.R. 165(E).— The following draft of certain rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2021

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 93, sub rule 1(A), clause (VI), after the first proviso after the TABLE following proviso, shall be inserted namely: —

"Provided further that in case motor vehicle of category N2 or N3 is engaged to carry indivisible loads, with open or closed body, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.75 meters."

3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the points (4) and (5) of rule 93 shall be renamed as (3) and (4), respectively.

[No. RT-11036/34/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number …….. (E), dated …………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.10 21:53:40 +05'30'